भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2286

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 9 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण 1946 (शक) को दिया जाना है।

फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी)

2286. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शीर्ष राजस्व अधिकारियों ने राज्य और केन्द्रीय माल और सेवा कर (जीएसटी) संघटन प्रवर्तन प्रमुखों को व्याख्यात्मक मुद्दों और सामान्य औद्योगिक व्यवहार के बजाय कर के वास्तविक अपवंचन पर ध्यान केन्द्रित करने का निदेश दिया है;

(ख) क्या सरकार प्रवर्तन कार्रवाइयों को व्यापार करने में आसानी के साथ संतुलित करने और प्रवर्तन दलों के लिए विशेष अभियान के अंतर्गत फर्जी पंजीकरणों की पहचान करने और उनकी छंटाई करने पर ध्यान केन्द्रित करने के महत्व को रेखांकित करती है;

(ग) फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का पता लगाने और उसके मास्टरमाइंड और लाभार्थियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या सरकार ने 'आवश्यक निवारक' प्रभाव पैदा करने के लिए कोई कदम उठाए है और यदि हां, तो केन्द्रीय और राज्य जीएसटी कार्यालयों द्वारा सत्यापन और जांच के लिए पहचान की गई फर्जी फर्मों का ब्यौरा क्या है; और

(ड़) इसकी वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क और ख): जी हाँ, राज्य और केंद्रीय माल और सेवा कर (जीएसटी) संघटन प्रवर्तन प्रमुखों का राष्ट्रीय सम्मेलन समय-समय पर आयोजित किया जाता है और अब तक 2 ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। सम्मेलन में प्रवर्तन कार्यालयों द्वारा की जा रही गतिविधियों और प्रवर्तन कार्रवाइयों को व्यापार करने में आसानी के साथ संतुलित करने के महत्व आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में होने वाली चर्चा के आधार पर, सीबीआईसी ने दिनांक 30.03.2024 के निर्देश संख्या 01/2023-24-जीएसटी (जांच) के माध्यम से जांच में संलग्न रहते हुए नियमित करदाताओं के साथ व्यापार करने में आसानी बनाए रखने के लिए सीजीएसटी क्षेत्रीय कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश अनुलग्नक "क" के रूप में संलग्न है।

(ग), (घ) एवं (ङ): मास्टरमाइंड का पता लगाने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के उपाय के रूप में, सीजीएसटी अधिनियम में पर्याप्त रूप से निवारक कानूनी प्रावधान हैं जो निम्नानुसार हैं:

i. कर चोरी या गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग की गई आईटीसी राशि या गलत तरीके से ली गई प्रतिदाय राशि के लिए दंड;
ii. फर्जी आईटीसी मामलों में शामिल करदाताओं के पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण;
iii. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी को ब्लॉक करना;
iv. सरकारी बकाया की वसूली के लिए संपत्ति/बैंक खातों आदि की अनंतिम कुर्की;

केंद्र और राज्य प्राधिकरणों द्वारा डेटा विश्लेषण और अन्य आसूचना जानकारी के माध्यम से फर्जी फर्मों का पता लगाने के लिए नियमित कार्रवाई की जाती है। इस उद्देश्य के लिए दिनांक 16.08.2024 से दिनांक 30.10.2024 तक पूरे देश में एक समन्वित विशेष अभियान चलाया गया। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल, 24 - अक्टूबर, 24) के दौरान कुल 18,876 आईटीसी धोखाधड़ी के मामलों का पता चला, जिसमें 17,818 फर्जी फर्म शामिल थीं, जिन पर 35,132 करोड़ रुपये की आईटीसी अपवंचन का संदेह था। इससे 6,484 करोड़ रुपये की बचत हुई है, जिसमें से 5,422 करोड़ रुपये आईटीसी ब्लॉक करके और 1062 करोड़ रुपये वसूली के माध्यम से बचाए गए हैं। साथ ही, चालू वित्त वर्ष के दौरान अक्टूबर, 2024 तक मामलों में 69 गिरफ्तारियां की गई हैं।

अनुलग्नक-क

निर्देश सं. 01/2023-24-जीएसटी (अन्वेषण)

एफ. स. जीएसटी/आईएनवी/निर्देश/2023-24
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)
नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च, 2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी क्षेत्र (समस्त)
प्रधान महानिदेशक/ महानिदेशक, सीबीआईसी (समस्त)
प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीएक्स एंड सीजीएसटी आयुक्तालय (समस्त)
वेबमास्टर, सीबीआईसी

महोदया/महोदय,

विषय: नियमित करदाताओं के साथ अन्वेषण में संलग्न रहते हुए व्यापार करने में सुगमता हेतु सीजीएसटी क्षेत्रीय संरचनाओं के लिए दिशानिर्देश।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सीजीएसटी क्षेत्रीय संरचनाओं के द्वारा नियमित करदाताओं के साथ या जहाँ वो संलग्न हों, ऐसे मामलों में प्रवर्तन गतिविधियों को आरंभ करने में एक समान प्रक्रिया का पालन करने वाले के मामले में, जिसमें व्यापार में सुगमता से संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया है, बोर्ड द्वारा विचार किया गया था।

2. प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड चाहता है कि, अब से, अन्वेषण में संलग्न होने के दौरान, सीजीएसटी अंचलों द्वारा, इस बारे में जारी कानूनी प्रावधानों या अनुदेशों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:

(क) अधिसूचना संख्या 2/2017-केंद्रीय कर दिनांक 19.06.2017 के अंतर्गत, आयुक्तालय के आवंटित क्षेत्राधिकार के भीतर, जिसमें मंडल संरचनाएं शमिल हैं, (प्रधान) आयुक्त, किसी भी आसूचना को विकसित करने, अनुमोदन करने, तलाशी लेने और मामले में अन्वेषण पूरा करने और प्रासंगिक आगामी कार्यवाही आदि के लिए जिम्मेदार होंगे।

किसी भी अन्य सीजीएसटी क्षेत्रीय संरचना से संबंधित, जानकारी या आसूचना को, जो इस तरह के क्षेत्रीय संरचना द्वारा उत्पन्न / एकत्रित / प्राप्त / अभिलिखित की गई हो (या किसी अन्वेषण के दौरान विकसित की गई हो, जिसमें आईटीसी के अंतिम- उपयोगकर्ता भी शामिल है), (प्रधान) आयुक्त द्वारा संबंधित सीजीएसटी क्षेत्रीय संरचना या डीजीजीआई, जैसा भी मामला हो, को भेजी जाएगी।

(ख) निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जिसमें निम्न चार श्रेणियों में संलग्न मामलों में से किसी एक के अंतर्गत आने वाले मामले में अन्वेषण शुरू करने और कार्रवाई करने के लिए अंचल (प्रधान) मुख्य आयुक्त की पूर्व लिखित मंजूरी की आवश्यकता होगी, प्रत्येक अन्वेषण केवल (प्रधान) आयुक्त की मंजूरी के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए।

i. किसी भी क्षेत्र/वस्तु/सेवा पर पहली बार कर/शुल्क लगाने की मांग करने वाली निर्वचन के मामले, चाहे वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क या जीएसटी में हो; या
ii. बड़े औद्योगिक घराने और प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगम; या
iii. संवेदनशील मामले या राष्ट्रीय निहितार्थ वाले मामले; या
iv. ऐसे मामले जो पहले से ही जीएसटी परिषद के समक्ष हैं।

उपरोक्त सभी चार श्रेणियों के मामलों में, संबंधित सीजीएसटी क्षेत्रीय संरचना को हितधारकों से प्रचलित व्यापार प्रथाओं और किए गए लेनदेन की प्रकृति के बारे में विवरण भी एकत्र करना चाहिए। ऐसे मामले के निहितार्थ/प्रभाव का अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि अन्वेषण शुरू करने और कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त औचित्य हो सके।

(ग) किसी अन्य अन्वेषण कार्यालय या कर प्रशासन द्वारा उसी करदाता/जीएसटीआईएन के संबंध में पहले से ही एक ही विषय वस्तु पर अन्वेषण शुरू करने के तथ्य, यदि कोई हो, को अन्वेषण शुरू करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए सुनिश्चित किये जाने चाहिए। ऐसी स्थिति को उस प्राधिकारी के समक्ष रखा जाना चाहिए जिसके द्वारा अन्वेषण आरंभ करने की मंजूरी दी जानी है।

(घ) ऐसी स्थिति हो सकती है जब आयुक्तालय के ध्यान में यह आए कि या तो डीजीजीआई अथवा राज्य जीएसटी विभाग साथ साथ विभिन्न विषयक मामलों पर एक ही करदाता का रिकॉर्ड-आधारित अन्वेषण कर रहा है। (प्रधान) आयुक्त को उक्त मामले को देख रहे किसी एक ही कार्यालय द्वारा अन्वेषण किए जाने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए, अन्य अन्वेषण कार्यालय (कार्यालयों) के साथ बातचीत करनी चाहिए, और अन्य कार्यालयों को उस कार्यालय के साथ अपनी सामग्री को समेकित करना चाहिए। यदि

ऐसा किया जाना संभव नहीं है, तो (प्रधान) आयुक्त द्वारा इन कारणों की पुष्टि फाइल पर की जानी चाहिए।

(ङ) ऐसी स्थिति हो सकती है जहां (प्रधान) आयुक्त ने अपने अधिकार क्षेत्र में एक जीएसटीआईएन के संबंध में अन्वेषण शुरू किया हो, और उक्त मुद्दा उस करदाता के कुछ या सभी जीएसटीआईएन के लिए प्रासंगिक हो, जो एक से अधिक क्षेत्राधिकार में उसी पैन के तहत पंजीकृत हैं। यदि मामला डीजीजीआई के चार्टर में भी आता है और ऐसा विषय नहीं है जो डीजीजीआई द्वारा अन्वेषण हेतु उपयुक्त नहीं हो (क्योंकि उक्त मामला रिटर्न संवीक्षा या लेखा परीक्षा आदि के दायरे में अधिक उचित है), तो (प्रधान) आयुक्त शीघ्रता से एक स्व-निहित सन्दर्भ अंचल (प्रधान) मुख्य आयुक्त को भेजेंगे जो मुख्य महानिदेशक, डीजीजीआई से मामले को डीजीजीआई दिशानिर्देशों के अनुसार अन्वेषण करने हेतु अनुरोध करेंगे।

(च) ऐसी स्थिति हो सकती है जहां (प्रधान) आयुक्त ने अपने अधिकार क्षेत्र में एक जीएसटीआईएन के संबंध में अन्वेषण शुरू किया है, और यह मुद्दा विभिन्न सीजीएसटी क्षेत्राधिकारों में (एक से अधिक पैन के तहत) पंजीकृत अन्य करदाताओं के जीएसटीआईएन के लिए प्रासंगिक हो। इस परिदृश्य में, (प्रधान) आयुक्त अन्वेषण शुरू होने के 30 दिनों के भीतर अंचल (प्रधान) मुख्य आयुक्त के अनुमोदन से निम्नलिखित दो कार्यों में से कोई एक कार्यवाही करेगा –

i. यदि मुद्दे अथवा विषय से संबंधित विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में शामिल (या शामिल होने के संभावित) जीएसटीआईएन या समान इकाई प्रकारों का विवरण उपलब्ध है, तो स्व-निहित संदर्भ प्रत्येक संबंधित अंचल या सभी अंचलों के साथ साझा किया जाना चाहिए।
ii. अन्य स्थितियों में, प्रधान महानिदेशक, डीजीजीआई से उचित चेतावनी जारी करने का अनुरोध किया जाना चाहिए।

(छ) सीजीएसटी क्षेत्र में ऐसा परिदृश्य हो सकता है जहां क्षेत्राधिकार के (प्रधान) आयुक्तों में से किसी एक द्वारा अन्वेषण का विषय सीजीएसटी अधिनियम / नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि के निवर्चन पर आधारित हो, और यह गैर-संदाय या कर के कम भुगतान प्रस्तावित करने की दिशा में हो, हालाँकि, पृष्ठभूमि यह है कि करदाता क्षेत्र / उद्योग में उस मुद्दे पर विशिष्ट व्याख्या के आधार पर एक प्रचलित व्यापार प्रथा का पालन कर रहे हैं या कर रहे थे। इस परिदृश्य के परिणामस्वरूप एक से अधिक निवर्चन और मुकदमेबाजी, प्रचलन में बदलाव आदि की संभावना होती है।

ऐसे मामलों में, यह वांछनीय है कि अंचल (प्रधान) मुख्य आयुक्त बोर्ड के प्रासंगिक नीति प्रकोष्ठ यानी जीएसटी नीति या टीआरयू को एक स्व-निहित संदर्भ भेजें। अन्वेषण पूरा करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने की यथाशीघ्र नियत तारीख से पहले ऐसा संदर्भ भेजने का प्रयास, एकरूपता को बढ़ावा देने या मुकदमेबाजी से बचने में उपयोगी हो सकता है, यदि मामला उनमें से एक है, जिसे संसाधित करने के पश्चात्, जीएसटी परिषद के समक्ष भी रखा जाता है।

(ज) किसी सूचीबद्ध कंपनी या पीएसयू या निगम या सरकारी विभाग / एजेंसी या कानून द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण के संबंध में अन्वेषण प्रारंभ करने में, या विवरण मांगने पर (जो रिकॉर्ड-आधारित हैं और/या खाते या फाइलिंग की वैधानिक पुस्तकों में परिलक्षित होते हैं), सीजीएसटी क्षेत्रीय संरचना द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा ऐसी होनी चाहिए कि प्रारंभ में ऐसी इकाई के नामित अधिकारी को प्रासंगिक निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध (समन के बजाय) आधिकारिक पत्र द्वारा (अन्वेषण के कारणों और उसके कानूनी प्रावधानों का विवरण देते हुए) भेजा जाए जिसमे उचित समय अवधि का भी उल्लेख किया गया हो । प्रारंभिक चरण में इस प्रथा से विचलन का कारण लिखित रूप से समर्थित होना चाहिए।

(झ) नियमित करदाता से सूचना/दस्तावेज मांगने के लिए जारी किए गए ऐसे पत्र में, उस इकाई के "संबंध में" या "सिलसिले में" अन्वेषण, संदर्भ किया जाना चाहिये। इसके अलावा, पत्र / समन में जो अन्वेषण शुरू किया जा रहा है, की विशिष्ट प्रकृति का खुलासा होना चाहिए। अस्पष्ट (या सामान्य) अभिव्यक्तियाँ जैसे कि अधिकारी "जीएसटी पूछताछ" या "जीएसटी का अपवंचन" या "जीएसटी अपवंचन" आदि के संबंध में अन्वेषण कर रहा है, का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

(ञ) जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन अथवा डिजिटल माध्यमों से उपलब्ध जानकारी नियमित करदाता से पत्र / समन के तहत नहीं मांगी जानी चाहिए। इसके अलावा, किसी पत्र या समन का उपयोग प्रारूपों या प्रोफार्मा (अन्वेषण द्वारा निर्दिष्ट) में भरी गई जानकारी प्राप्त करने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

(ट) अन्वेषण के संचालन में जारी समन द्वारा, समन के लिए परिभाषित दायरे से बाहर के अनुरोधों को व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। जीएसटी के मामले में, समन का दायरा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 के शब्दों में निहित है। परोक्ष अन्वेषण के समान संदर्भ या विषयवस्तु के साथ पत्र/समन स्वीकार्य नहीं है।

(ठ) यदि किसी करदाता ने अपनी जावक आपूर्ति पर जीएसटी के भुगतान के लिए आईटीसी का उपयोग किया है, तो यह समन / पत्र पहलुओं के माध्यम से इस प्रकार का स्पष्टीकरण मांगना स्वीकार्य नहीं है जैसे *'कृपया स्पष्ट करें कि क्या आईटीसी का उठाया गया लाभ और किया गया उपयोग उचित था'* ।

(ड) समन जारी करने में मानदंड यह होगा कि समन करने वाले अधिकारी द्वारा मुद्रित किए जाने वाले समन की सामग्री का पूर्व-तर्कसंगत अनुमोदन (जो कि उप/सहायक आयुक्त स्तर से नीचे का अधिकारी का नहीं होगा) हो, जिसमें क्या जानकारी मांगी जा रही है और इसके अनुपालन के लिए उचित समय सीमा प्रदान की जा रही है, शामिल है।

(ढ) जहां, कड़ाई से परिचालनात्मक कारणों से, ऐसी पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना संभव नहीं है, ऐसे अधिकारी द्वारा अनुमोदन मौखिक हो सकता है, हालांकि इन सब की पुष्टि जल्द से जल्द लिखित रूप में की जानी चाहिए।

(ण) किसी नियमित करदाता से कोई भी जानकारी या दस्तावेज मंगाने से पहले, जो मांगा जा रहा है, उसकी प्रासंगिकता और औचित्य को यह सुनिश्चित करते हुए (ई-फाइल पर) दर्ज किया जाना चाहिए कि वो समग्र है और तैयारी का परिणाम है, जिससे बार-बार समन जारी करने या टुकड़ों में जानकारी मांगने से बचा जा सके।

(त) किसी बयान (समन के तहत अभिलेखित) की स्कैन की गई प्रति उसी ई-ऑफिस फ़ाइल में अपलोड की जानी चाहिए जिसमें समन जारी करने की मंजूरी प्राप्त की गई थी। करी गयी तलाशी / निरीक्षण के परिणाम, पंचनामा (यदि कोई हो) सहित, को भी अपलोड किए जाएं। अपर / संयुक्त आयुक्त को यह ई-फ़ाइल सूचना के लिए बयान की तारीख, तलाशी / निरीक्षण पूर्ण होने के 4 कार्य दिवसों से अनधिक प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(थ1) आरंभ किए गए अन्वेषण को जल्द से जल्द निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए जो एक वर्ष से अधिक न हो। कानून की दी गयी समय सीमा आने तक अन्वेषण को लंबित रखना आवश्यक नहीं है। अन्वेषण के समापन के बाद कारण बताओ नोटिस में देरी नहीं की जानी चाहिए। संबंधित व्यक्ति द्वारा सरकारी बकाया के उचित भुगतान के परिणामस्वरूप क्लोजर रिपोर्ट में भी देरी नहीं की जानी चाहिए और इसमें मुद्दे और इसमें शामिल अवधि का एक संक्षिप्त स्व-व्याख्यात्मक विवरण होना चाहिए। इन चरणों में बिना किसी देरी के त्वरित कार्रवाई निवारक सतर्कता का हिस्सा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कदाचार के लिए कोई जगह न रहे।

9.12.24

(थ2) अन्वेषण का निष्कर्ष यह दर्ज करने का रूप भी ले सकता है कि अन्वेषण को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अन्वेषण किए गए मामले में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया।

शिकायत निवारण

3. (प्रधान) आयुक्त को इस तरह से पूर्व सक्रिय होना चाहिए कि उनके क्षेत्राधिकार के भीतर किया जा रहा अन्वेषण और अन्वेषण से संबंधित कार्यों के संबंध में शिकायतों को उत्पन्न होने से रोका जा सके।

अन्वेषण के प्रभारी अपर / संयुक्त आयुक्त शिकायत अधिकारी हैं, जिनसे करदाता, चल रहे अन्वेषण से संबंधित शिकायत, यदि कोई हो, के उचित निवारण के लिए (पत्र, ईमेल द्वारा या मिलने का समय लेकर) संपर्क कर सकता है। यदि शिकायत का उचित निवारण नहीं होता है, तो (प्रधान) आयुक्त, करदाता को मिलने का समय देकर, मिलने पर विचार कर सकते हैं।

भवदीय,

(विजय मोहन जैन)
आयुक्त,
जीएसटी-अन्वेषण, सीबीआईसी